



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2007
अग्रहायण 19, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 2541/79-वि-1-07-1(क)51-2007
लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह 5 सितम्बर, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
11 सन् 1966 की
धारा 29 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की जिसे एतदपश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द “पांच वर्ष” के स्थान पर शब्द “दो वर्ष” रख दिये जायेंगे।

(दो) खण्ड (ख) में शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002” के स्थान पर शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007” रख दिये जायेंगे।

(तीन) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(ग) किसी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल, जिसने खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व अपने गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, और उसके निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगा।”

(ख) उपधारा (3), (4), (5), (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिये निर्वाचन, निबन्धक के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन विहित रीति से प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व कर लिया जायेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त हो रहा है, स्थान ग्रहण करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निबन्धक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उसे नियंत्रित किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन है, वहां वह निर्वाचन को स्थगित कर सकता है और निर्वाचन के संदर्भ में समस्त कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जाएंगी।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व निबन्धक को निर्वाचन कराने के लिये अधियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी, उसके द्वारा अपेक्षा की जाय, ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेजे।

(5) (क) जहां किसी कारण से, चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या समिति की उपविधियों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर अस्तित्व में नहीं रह जायेंगी।

(ख) निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, अधिनियम के उपबन्धों, नियमों और समिति की उपविधि के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक, समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिये प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में कमेटी कहा गया है) नियुक्त करेगा, और निबन्धक को समय-समय पर, यथास्थिति प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक के स्थान पर कोई कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ग) जहां खण्ड (ख) के अधीन कोई कमेटी नियुक्त की जाय, वहां उसके एक सभापति और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निबन्धक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनमें कम से कम दो सदस्य सरकारी सेवक होंगे।

(घ) कमेटी की बैठक बुलाने और उसका आयोजन करने की प्रक्रिया, ऐसी बैठकों का आयोजन करने का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी नियत की जाय।

(ख) जब तक खण्ड (ख) के अधीन यथास्थिति, किसी प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति न की जाय तब तक यथास्थिति, समिति का सचिव या प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध कमेटी के केवल चालू कर्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण:—जहां पदावरोही प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों, या घोषित न किये जा सकें हों वहां यह समझा जायेगा कि प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इस उपधारा के अर्थान्तर्गत नहीं हुआ है।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त प्रशासक या कमेटी को, ऐसे किसी निदेश के अधीन रहते हुये, जिसे निबन्धक द्वारा समय-समय पर दिया जाय, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधि के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिये उसे प्रबन्ध कमेटी समझा जायेगा और ऐसी कमेटी का सभापति प्रबन्ध कमेटी के सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी, यथाशीघ्र, किन्तु नियुक्ति के दिनांक से छः माह की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी से समिति का प्रबन्ध लेने के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों और समिति की उपविधि के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी प्रशासक के स्थान पर कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक रखा जाय, जैसा कि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में उपबन्धित है, वहां छः माह की अवधि की गणना, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी की मूल नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी।

स्पष्टीकरण:—उपधारा (5) के अधीन प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रारम्भ हो जाने पर भी, ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन की नई प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।”

निरसन और
अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश,
2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या
34 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 29 में, अन्य बातों के साथ, यह प्राविधान किया गया था कि प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल उक्त कमेटी के कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगा और जब किसी असाधारण परिस्थिति के कारण प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन पूरा न किया गया हो अथवा पूरा न किया जा सका हो, तो निबन्धक बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल को छह माह की अवधि तक बढ़ा सकता है। यह अनुभव किया गया कि प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल अधिक लम्बा होने से शक्ति के दुरुपयोग और

प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितताओं में वृद्धि हो रही थी। यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि प्रबन्ध कमेटी एवं उसके सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दिया जाय और जहां निबन्धक का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियों विद्यमान हैं जिनके कारण नियत किये गये दिनांक को उसके लिए निर्वाचन कराना कठिन हो, वहाँ निबन्धक को निर्वाचन स्थगित कर सकने के लिए सशक्त किया जाय और ऐसी प्रबन्ध कमेटी जिसके निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन, किसी भी कारण से, न हुआ हो अथवा न हो सका हो, के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् प्रशासक या प्रशासक कमेटी की नियुक्ति की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 34 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 2541/LXXIX-V-1-1(Ka)51-2007

Dated Lucknow, December 10, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 46 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 9, 2007.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 46 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and
Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 5, 2007.

Amendment of
section 29 of
U.P. Act no. 11
of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) in sub-section (2),—

(i) in clause (a) for the words "five years" the words "two years" shall be substituted.

(ii) in clause (b) for the words and figures "the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2002" the words and figures "the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2007" shall be *substituted*.

(iii) after clause (b) the following clause shall be *inserted*, namely :-

" (c) The term of the Committee of Management, which has completed, on or before the date of commencement of the Act referred to in clause (b), the period of two years from the date of its constitution and the term of its elected members, shall expire on such commencement."

(b) for sub-sections (3), (4), (5), (6) and (7) the following sub-sections shall be *substituted*, namely :-

"(3) Election to reconstitute the Committee of Management of a Co-operative Society shall be completed in the prescribed manner under the superintendence, control and direction of the Registrar at least fifteen days before the expiry of the term of the Committee of Management and the members so elected shall replace the Committee of Management whose term expires under sub-section (2):

Provided that where the Registrar is satisfied that circumstances exist which render it difficult for him to hold the election on the date fixed, he may postpone the election, and all proceedings with reference to the election shall be commenced afresh in all respects.

(4) It shall be the duty of the Secretary or the Managing Director of the Co-operative Society, as the case may be, to send to the Registrar, four months before the expiry of the term of Committee of Management, a requisition for conducting the election and to furnish all such information as may be required by him within such period as may be fixed by him.

(5) (a) Where, for any reason whatsoever, the election of the elected members of the Committee of Management has not taken place or could not take place before the expiry of the term of elected members, the Committee of Management shall, notwithstanding anything to the contrary in any other provision of this Act or the rules made thereunder, or the bye-laws of the society, cease to exist on the expiry of such term.

(b) On or as soon as may be after the expiry of such term, the Registrar shall appoint an Administrator or a Committee of Administrators (hereinafter, in this section, referred to as the Committee) for the Management of the affairs of the society until the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws of the society and the Registrar shall have the power to change the Administrator or, as the case may be, any member of the Committee or to appoint Committee in place of an Administrator or *vice versa* from time to time.

(c) Where a Committee is appointed under clause (b), it shall consist of a Chairman and such other members not exceeding eight as may be nominated by the Registrar out of which at least two shall be Government servants.

(d) The procedure for summoning and holding of meetings of the Committee the time and place of holding such meetings, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form quorum thereof shall be such as may be prescribed.

(e) So long as no Administrator or the Committee, as the case may be, is appointed under clause (b), the Secretary or the Managing Director, as the case may be, of the society shall be in charge only of the current duties of the Committee of Management.

Explanation:— Where results of the election of members of the Committee of Management have not been or could not be declared, for any reason whatsoever, before the expiry of the term of the elected members of the outgoing Committee of Management, it shall be deemed that the election of the elected members of the Committee of Management has not taken place within the meaning of this sub-section.

(6) The Administrator or the Committee appointed under sub-section (5) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the powers to perform all or any of the functions of the Committee of Management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rule and the bye-laws of the society to be the Committee of Management and the Chairman of such Committee shall exercise the powers and perform the functions of the Chairman of the Committee of Management.

(7) The Administrator or the Committee, as the case may be, appointed under sub-section (5), shall as soon as may be, but not later than the expiry of six months from the date of appointment, arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws of the society to take over the Management of the society from the Administrator or the Committee, as the case may be:

Provided that where an Administrator is replaced by a Committee or a Committee by an Administrator as provided in clause (b) of sub-section (5), the period of six months shall count from the date the Administrator or the Committee, as the case may be, was originally appointed.

Explanation:— Notwithstanding that the process of election may have commenced before the appointment of an Administrator or the Committee under sub-section (5), a fresh process of election shall commence after such appointment."

Repeal and
saving

3. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

U.P. Ordinance
no. 34 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966) *inter alia* provided that the term of every Committee of Management shall be five years and the term of elected members of the Committee of Management shall be co-terminous with the term of such Committee and the Registrar may extend the term of the outgoing Committee of Management for a period up to six months where for any extraordinary circumstances the elections of the members of the Committee of Management has not been, or could be completed. It has been felt that due to the term of the Committee being long the misuse of power and administrative and financial irregularities were increasing. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide for reducing the term of Committee of Management and the members thereof from five years to two years and empowering the Registrar to postpone an election where he is satisfied that circumstances exist which render it difficult for him to hold the election on the date fixed therefore and to appoint an administrator or Committee of Administrators after the expiry of the term of the Committee of Management of which the election of the elected members has not taken place or could not take place for any reason whatsoever.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 34 of 2007) was promulgated by the Governor on September 5, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 767 राजपत्र-(हि०)-(1862)-2007-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 387 सा० विधा०-(1863)-2007-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।